



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-30082025-265831
CG-KA-E-30082025-265831

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3858]
No. 3858]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 29 अगस्त, 2025

का.आ. 3963(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन बेंगलुरु छावनी) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात्, गोवा राज्य में, "होस्पेट - हुबली - तिनैघाट - वास्को-डि-गामा दोहरीकरण", के निष्पादन के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा ऐसी भूमि अर्जित करने का अपना अभिप्राय घोषित करता है:

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के अंतर्गत उक्त प्रयोजन हेतु ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है;

प्रत्येक ऐसी आपत्तियों को लिखित रूप में 'सक्षम प्राधिकारी', अर्थात् प्रभारी भूमि अर्जन अधिकारी/उप-जिलाधीश एवं उप-मंडल अधिकारी, मर्मुगोवा, वास्को गोवा को प्रस्तुत की जा सकती है और उसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्राविष्टानर द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा तथा सक्षम प्राधिकारी, ऐसे सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और यदि कोई हो तो आगे की जांच करने के बाद जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अनंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएं और अन्य विवरण इस कार्यालय में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण कर सकता है।

अनुसूची

गोवा राज्य में होस्पेट - तिनैघाट - वास्को-द-गामा दोहरीकरण की प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित या बिना संरचना के, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

जिले का नाम: दक्षिण गोवा

अधिसूचित भूमि का विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	तहसील	सर्वे सं.	उप प्रभाग सं.	अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	कनसोलिम	मोरमुगांव	65	4 (भाग)	0.0097
2.	कनसोलिम		65	5	0.0105
3.	कनसोलिम		65	8 (भाग)	0.0029
4.	कनसोलिम		65	9 (भाग)	0.0017
5.	कनसोलिम		65	10 (भाग)	0.0017
6.	कनसोलिम		66	12 (भाग)	0.0077
			कुल		0.0342
7.	इस्सोरसीम		2	19 (भाग)	0.0046
8.	इस्सोरसीम		2	20 (भाग)	0.0015
9.	इस्सोरसीम		7	1 (भाग)	0.0034
10.	इस्सोरसीम		8	1 (भाग)	0.0051
11.	इस्सोरसीम		19	1 (भाग)	0.1133
12.	इस्सोरसीम		19	4 (भाग)	0.0136
13.	इस्सोरसीम		21	3 (भाग)	0.0121

14.	इस्सोरसीम		4	1 (भाग)	0.0572
				कुल	0.2108
15.	संकोले		161	2 (भाग)	0.3557
				कुल	0.3557
कुल क्षेत्रफल (हेक्टर में)					0.6007

[फा. सं. डब्लू. 271/सीएन/बीएनसी/2025-26/भूमि एसआरपी/1219]

परदीप पुरी, मुख्य इंजीनियर-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS**[South Western Railway (Construction Organisation)]****NOTIFICATION**

Bengaluru, the 29th August, 2025

S.O. 3963(E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Ministry of Railways (South Western Railway, Construction Organization Bengaluru Cantonment) after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely, “Hospet - Hubli - Tinaighat - Vasco-Da-Gama Doubling”, in the State of Goa, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the ‘**Competent Authority**’, namely, Incharge Land Acquisition Officer/Deputy Collector and Sub-Divisional Officer, Marmugoa, Vasco Goa in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project of Hospet - Tinaighat - Vasco-Da-Gama doubling in the State of Goa.

Name of the district: South Goa

Description of the Lands notified

Sl. No.	Name of the Village	Taluk	Survey No.	Sub Div No.	Area proposed for acquisition in Hectare
1.	Cansaulim	Mormugao	65	4 (Part)	0.0097
2.	Cansaulim		65	5	0.0105
3.	Cansaulim		65	8 (Part)	0.0029
4.	Cansaulim		65	9 (Part)	0.0017
5.	Cansaulim		65	10 (Part)	0.0017
6.	Cansaulim		66	12 (Part)	0.0077
			Total		0.0342
7.	Issorcim		2	19 (Part)	0.0046
8.	Issorcim		2	20 (Part)	0.0015
9.	Issorcim		7	1 (Part)	0.0034
10.	Issorcim		8	1 (Part)	0.0051
11.	Issorcim		19	1 (Part)	0.1133
12.	Issorcim		19	4 (Part)	0.0136
13.	Issorcim		21	3 (Part)	0.0121
14.	Issorcim		4	1 (Part)	0.0572
			Total		0.2108
15.	Sancoale		161	2 (Part)	0.3557
			Total		0.3557
Total area in Ha					0.6007

[F. No. W. 271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1219]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction